



CGTMSE योजना

प्रलिस के लयः

CGTMSE योजना, MSMEs, SIDBI, MSME क्रेडिट पहल ।

मेन्स के लयः

MSME - सरकारी नीतयिँ और हस्तक्षेप, उनको बढ़ावा देने हेतु पहल ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में के केंद्रीय MSME मंत्री ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों योजना हेतु संशोधति क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises- CGTMSE) लॉन्च कयि ।

CGTMSE योजना:

परचियः

- यह [सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र](#) को संपारश्वकि-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में शुरू कयि गया था ।

दायरा:

- वद्यमान और नए दोनों उद्यम इस योजना के तहत कवर कयि जाने के पात्र हैं ।

वत्तीयन:

- CGTMSE में वत्तीयन भारत सरकार और सडिबी द्वारा क्रमशः 4:1 के अनुपात में कयि जाता है ।
- MSME मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग वकिस बैंक (SIDBI) ने CGTMSE योजना को लागू करने के लयि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की ।

MSME के लयि वत्तीय समावेशन:

- CGTMSE के पुनरुद्धार की शुरुआत करते हुए, यह घोषणा की गई थी कि CGTMSE वत्तीय समावेशन केंद्र स्थापति करने के लयि राष्ट्रीय MSME संस्थान, हैदराबाद के साथ सहयोग करेगा ।
- केंद्र से MSME को वत्तीय साक्षरता और क्रेडिट परामर्श प्रदान करने की उम्मीद है, जसिसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को CGTMSE योजना के लाभों का बेहतर उपयोग करने में मदद मलिंगी ।

नोट: SIDBI की स्थापना अप्रैल 1990 में भारतीय संसद के एक अधनियम के तहत की गई थी, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, वत्तिपोषण और वकिस के साथ-साथ समान गतविधियिँ में संलग्न संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लयि प्रमुख वत्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है ।

संशोधति CGTMSE:

बड़े बदलाव:

- [वत्ति वर्ष 2023-24](#) के केंद्रीय बजट में CGTMSE को 9000 करोड़ की अतरिकित सुरक्षा नधि सहायता प्रदान की गयी है, ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अतरिकित 2,00,000 करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान करने के लयि इस योजना में सुधार लाया जा सके ।

- संशोधति संस्करण में कयि गए अन्य प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं:
 - ₹1 करोड़ तक के ऋण के लयि गारंटीशुदा शुल्क में 50% की कमी ।
 - गारंटी की सीमा को ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करना ।
 - न्यायालयी कार्यवाही के बाहर दावा नपिटान की सीमा पछिली सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है ।
- महत्त्व :
 - यह न्यूनतम गारंटीशुदा शुल्क MSMEs के लयि ऋण प्राप्त करना आसान बना देगा ।
 - गारंटी के लयि बढ़ी हुई सीमा और दावा, नपिटान के लयि उधारकर्त्ता द्वारा कसि भी डफ़ॉल्ट के मामले में उधारदाताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगी ।
 - इस योजना से MSE के लयि ऋण प्रवाह को बढ़ावा मलिन की उम्मीद है, जसिसे देश में रोज़गार के अधिक अवसर पैदा होंगे ।
 - ये संशोधन वशेष रूप से कोवडि-19 महामारी और व्यवसायों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए MSME तक पहुँच, सामर्थ्य एवं ऋण की उपलब्धता में सुधार की दृष्टि से कयि गए हैं ।

MSME क्रेडिट से संबंधति अन्य पहलें:

- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): यह नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना तथा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लयि एक क्रेडिट लकिड सब्सडी योजना है ।
- पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लयि नधि की योजना (SFURTI): इसका उद्देश्य कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को समूहों में व्यवस्थति करना तथा इस प्रकार उन्हें वर्तमान बाज़ार परदृश्य में प्रतस्पर्द्धी बनाने के लयि वत्तीय सहायता प्रदान करना है ।
- MSME को वृद्धशील ऋण प्रदान करने के लयि ब्याज सबवेंशन योजना: यह भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा शुरू की गई थी, जसिमें सभी कानूनी MSME को उनकी वैधता की अवधि के दौरान उनके बकाया, वर्तमान/वृद्धशील सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी पर 2% तक की राहत प्रदान की जाती है ।
- ब्याज सब्सडी पात्रता प्रमाण पत्र (ISEC): योजना के तहत खादी और पॉलीवस्त्र उत्पादक संस्थान बैंकि संस्थानों से पूंजीगत धन प्राप्त करते हैं ।
- MSME लोन इन 59 मनिट्स: 5 करोड़ रुपए तक के त्वरति एवं परेशानी मुक्त ऋण के लयि ऑनलाइन पोर्टल । यह डेटा का वशिलेषण करने और 59 मनिट के भीतर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने के लयि उन्नत एलगोरदिम का उपयोग करता है ।
- MSMEs के लयि MUDRA ऋण योजनाएँ: वनिरिमाण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में संलग्न सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण (कम ब्याज दरों पर संपारश्वकि-मुक्त ऋण) प्रदान कयि जाता है ।
- राष्ट्रीय लघु उद्योग नगिम (NSIC): MSME को प्रतस्पर्द्धी ब्याज दरों और न्यूनतम दस्तावेज़ की प्रसतुति पर भीवभिन्नि बैंकों और वत्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की सुवधि प्रदान करता है ।
- क्रेडिट लकिड कैपिटल सब्सडी और टेक्नोलॉजी अपगरेडेशन स्कीम (CLCS-TUS):
 - MSME को उनकी तकनीक के उन्नयन और नए संयंत्र तथा मशीनरी स्थापति करने के लयि 15% (15 लाख रुपए तक) की पूंजीगत सब्सडी प्रदान करता है ।
 - 50 से अधिक उप-क्षेत्रों को कवर करता है ।
 - इसका उद्देश्य MSME की गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रतस्पर्द्धात्मकता में सुधार करना है ।

????? : ??,??,??.